उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 2959/77-6-06-41-टैक्स/01
लखनऊःदिनांक 14 दिसम्बर, 2006

''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या-3090/77-6-03-41 (टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (तृतीय संशोधन), 2006

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ — 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (तृतीय संशोधन), 2006 कही कही जायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- **नियम-2का संशोधन** — औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2003 के नियम-2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड-ग व घ (1) के स्थान पर स्तम्भ -2 में, एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड-ग व घ रख दिये जायेगें तथा खण्ड-ठ के पश्चात नया खण्ड-ड बढ़ा दिया जायेगा। अर्थात

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
ग- **'पात्र इकाई'** का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो	ग- **'पात्र इकाई'** का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो। प्रतिबन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में पात्र इकाई ऐसी इकाई को माना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.03.2003 या उसके बाद पड़ती हो।

घ- मेगा इकाई का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयो से हैः-	घ- मेगा इकाई का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयो से हैः-
(1) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का निवेश किया हो।	(1) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का निवेश किया हो। प्रतिबन्ध यह है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित ऐसी इकाईयों जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 29.12.04 को या उसके बाद पड़ती हो तथा जिनमे पूंजी निवेश रू0 5.00 करोड़ या अधिक हो, को भी मेगा इकाई माना जायेगा।
स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम**
	ड- पायनियर इकाई से तात्पर्य किसी जनपद में स्थापित होने वाली प्रथम पात्र मेगा इकाई से है ''प्रतिबन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में ऐसी इकाई को पात्र माना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.03.2003 या उसके बाद पड़ती हो।'' प्रतिबंध यह है कि किसी जनपद में प्रथम इकाई, ऐसी पात्र इकाई को माना जायेगा जिसके द्वारा निम्न शर्ते भी पूरी की जायः- (1) जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में सर्वप्रथम पड़ती हो। (2) यदि एक से अधिक इकाईयों की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में एक ही दिन पड़ती हो तो ऐसी इकाई को प्रथम इकाई माना जायेगा जिसने सेक्रेटिरियट फार इण्डस्ट्रियल एप्रूवल, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से सर्वप्रथम आशय पत्र (एल.ओ.आई.) अथवा इच्छा पत्र (आई.ई.एम.) शामिल कर एकनोलेजमेन्ट प्राप्त कर लिया

हो।

पाइनियर इकाई की पात्रता का निर्धारण जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें संबंधित जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, व्यापार कर विभाग के नामित कर निर्धारण अधिकारी एवं जिलाधिकारी होगें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी जिस अधिकारी को उचित समझे, विशेष आमंत्री के रूप में समिति में नामित कर सकते है। पात्रता निर्धारण के उपरान्त पात्र इकाई को पात्रता प्रमाणपत्र जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। पात्र पाइनियर इकाई पात्रता प्रमाणपत्र के साथ पिकप/यू.पी.एफ.सी. में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे।

3- नियम-3 का संशोधन

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-3 जो ब्याज ऋण मुक्त से संबंधित है में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम**
3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी।	3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी किन्तु पायनियर इकाई के लिए नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 15 वर्ष तक की होगी।

4- नियम-5 का संशोधन

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-5 में निम्नवत् संशोधन किये गये हैः-

उक्त नियमावली में नियम-5 मे नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उप नियम-(1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम-(1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) रख दिया जाएगा तथा पायनियर इकाईयों के लिए नियम-5(10) भी संशोधित हो जाएगा अर्थात-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम**
5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अगिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउंटेट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाइयॉ ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगी तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा । पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्कीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेंगी।	5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अगिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउंटेट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देय व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिक्कीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेंगी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं पिकप के मध्य इकाईयों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगाः-

उ0प्र0वित्तीय निगम	पिकप
(1) किसी भी जनपद में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा पर आधारित ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें 5-15 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो।	किसी भी जनपद में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा पर आधारित ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें 15 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।
(2) किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की इकाईयां जिसमें 10 से 15 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हों।	किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की इकाईयां जिनमें 15.00 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।
(3) उपरोक्त (1) व (2)के अतिरिक्त पूर्वाचंल व बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिसमें 10-15 करोड़ तक पूंजी निवेश किया गया हो।	उपरोक्त (1) व (2) के अतिरिक्त पूर्वाचंल व बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें 15 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।
(4) उपरोक्त (1), (2) व (3) के अतिरिक्त किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईया जिनमें 25-30 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो।	उपरोक्त (1), (2) व (3) के अतिरिक्त किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयां जिनमें 30 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।

यदि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा पिकप ने किसी इकाई को स्वयं वित्त पोषित भी किया हो तो उपरोक्तानुसार सीमा से बाहर होते हुए भी दूसरे निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर वह इस योजना में वित्त पोषित कर सकते है। ऐसा करना कार्यहित / उद्योग हित / निगम हित में होगा।

5(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

5(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

प्रतिबंध यह है कि पायनियर इकाईयों को प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष के लिए ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसकी वापसी ऋण वितरण के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के बाद होगी। शेष शर्ते यथावत बनी रहेंगी।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि सभी नयी वृहद औद्योगिक इकाईयॉ जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा महिला कार्यरत हो अथवा 500 से अधिक महिलाएं स्थाई रूप से नियुक्त हो अथवा जिनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हों, को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज रहित ऋण के अतिरिक्त वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत अथवा प्रदत्त व्यापार कर व केन्द्रीय बिक्री कर के योग, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा में रहते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगें। बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल में स्थापित होने वाली इकाईयों के संबंध में योजनान्र्तगत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायेगें ।	5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगें। वांछित धनराशि की बजट व्यवस्था औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवंटित कराकर पिकप/यू.पी.एफ.सी. को यथावश्यकता उपलब्ध कराई जायेगी।
5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।	5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। किन्तु पायनियर इकाई के लिए ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

5- नियम-10 मे संशोधन

उक्त नियमावली में नियम-10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम-10 रख दिया जायेगा। अर्थात-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
10 ब्याज मुक्त ऋण मे आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल है, पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।	10 ब्याज मुक्त ऋण मे आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल है, के अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)
औद्योगिक विकास आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव,